बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-06/2015 पटना, दिनांक-

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय(मुख्यालय),
बिहार, पटना।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि रू० 14,94,654/-(चौदह लाख चौरानवे हजार छः सौ चौवन) रूपये मात्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष-0406-राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- S/3454022050406 है।
4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय(मुख्यालय), बिहार, पटना होंगे।
5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बज़ट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंब्न, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–3429 दिनांक– 01.04.2015 में उल्लेखित निदेश के साथ–साथ, समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. स्वीकृतादेश संख्या–14 दिनांक 10.06.2015 के आलोक में कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि से निदेशानुसार कम्प्यूटर क्रय, कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानदेय, इन्टरनेट कनेक्शन एवं उसके मरम्मत तथा रख–रखाव पर व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि विकलनीय है।

विश्वासभाजन
ह०/–

निदेशक

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
निदेशक

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
निदेशक

ज्ञापांक– 29 दिनांक– 29-01-2016

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग(बजट शाखा)।
2. संयुक्त निदेशक(योजना), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

निदेशक

29/1/16

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष-0406-राजीव आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का आवंटन विवरणी। जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-**S/3454022050406** है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	**1494654**	-	-	-	**1494654**

(चौदह लाख चौरानवे हजार छः सौ चौवन) रुपये मात्र।

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

29/1/16

29
29/1/16